



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 पौष 1943 (श०)

(सं० पटना 1042) पटना, बृहस्पतिवार, 30 दिसम्बर 2021

IE 2@vkjki&01&02@2018&13122@lk0ç0
lkekU; i:'kklu foHkkx

ldYi

3 नवम्बर 2021

श्री आनन्द प्रकाश (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 1088/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोघरडीहा, मधुबनी के विरुद्ध वर्ष 2007-08 में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत 14वीं लोकसभा के माननीय सांसद श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, झंझारपुर संसदीय क्षेत्र की अनुशंसा के अनुसार स्वीकृत योजनाओं को ससमय पूर्ण कराये जाने में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने संबंधी आरोप के लिए ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 344904 दिनांक 26.12.2017 के माध्यम से जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 1211 दिनांक 30.11.2016 द्वारा गठित आरोप-पत्र प्राप्त हुआ। जिला पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त आरोप-पत्र एवं संचिका में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विभागीय स्तर से गठित आरोप-पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों के लिए श्री प्रकाश से स्पष्टीकरण की गयी।

श्री प्रकाश के विरुद्ध आरोप-पत्र में गठित आरोप निम्नलिखित हैं :-

आरोप :- इनके द्वारा वर्ष 2007-08 में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत 14वीं लोकसभा के माननीय सांसद श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, झंझारपुर संसदीय क्षेत्र की अनुशंसा के अनुसार स्वीकृत निम्नांकित योजनाओं को ससमय पूर्ण कराये जाने में उदासीनता एवं लापरवाही बरती गयी।

क्र०	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	घोघरडीहा प्रखंड के अन्तर्गत महदेवा गाँव के कपिलेश्वर बाबा के घर के सामने तालाब के पास सार्वजनिक भवन का निर्माण कार्य।	325000.00
2	घोघरडीहा प्रखंड के अन्तर्गत पिरोजगढ़ की घेराबंदी कार्य।	350000.00

उपर्युक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्रमांक-01 की योजना हेतु मो० 325000.00 (तीन लाख पचास हजार) रुपया तथा क्रमांक-02 की योजना हेतु मो० 350000.00 (तीन लाख पचास हजार) रुपया की राशि के साथ श्री प्रकाश, प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोघरडीहा को उपलब्ध करायी गयी, लेकिन उनके द्वारा योजना को पूर्ण कराने में अभिरुचि नहीं ली गयी तथा समुचित पर्यवेक्षण नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप योजना अपूर्ण रही।

श्री प्रकाश के विरुद्ध गठित आरोप-पत्र पर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक 6009 दिनांक 23.06.2020 द्वारा स्पष्टीकरण की गयी। उक्त के आलोक में श्री प्रकाश के पत्रांक 49 दिनांक 16.07.2020 द्वारा योजनावार स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री प्रकाश द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 9123 दिनांक 01.10.2020 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी से मंतव्य की मांग की गयी, जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी, मधुबनी

के पत्रांक 1295 दिनांक 27.07.2021 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री प्रकाश द्वारा योजना संख्या-01 के संदर्भ में समर्पित स्पष्टीकरण को आंशिक स्वीकार योग्य एवं योजना संख्या-02 के संबंध में समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं प्रतिवेदित किया गया।

श्री प्रकाश के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त मंतव्य की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री प्रकाश के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9131 दिनांक 19.08.2021 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत (i) निन्दन (आरोप वर्ष 2007-08) एवं (ii) संचयी प्रभाव के बिना दो वेतन वृद्धि पर रोक का दंड संसूचित किया गया।

उपरोक्त दंडादेश के विरुद्ध श्री प्रकाश द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जिसमें आरोपवार इनका कहना है कि :-

****// घोरडीहा प्रखंडान्तर्गत महदेवा गांव के कपिलेश्वर बाबा के घर के सामने तलाब के पास सार्वजनिक भवन का निर्माण कार्य** (प्रशासनिक स्वीकृति की राशि मो0 तीन लाख पचीस हजार रुपये मात्र)।- इस योजना से संबंधित प्रखंड कार्यालय, घोरडीहा में संधारित अभिलेख संख्या-02/08-09 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि योजना से संबंधित अभिलेखीय कार्यवाही दिनांक 21.02.2009 को क्रियान्वित करते हुए श्री सुरेश प्रसाद, राजस्व कर्मचारी को योजना अभिकर्ता नियुक्त किया गया और दिनांक 23.02.2009 को उन्हें प्रथम किस्त की राशि (मो0 साढ़े सात हजार रुपये मात्र) उनके द्वारा दिए गए अनुरोध अग्रिम आवेदन के आलोक में विमुक्त की गयी। अभिकर्ता के आवेदन पर कनीय अभियंता, घोरडीहा की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 28.04.2009 को उन्हें द्वितीय किस्त की राशि के रूप में मो0 पचीस हजार रुपये विमुक्त की गयी। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में योजना स्थल के निरीक्षण के क्रम में अभिकर्ता को शीघ्र कार्य पूर्ण कराने हेतु दिनांक 22.06.2009 को निर्देशित किया गया परंतु जून माह में सामान्य स्थानान्तरण प्रक्रिया के तहत अभिकर्ता के अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर रामबहादुर यादव, पंचायत सचिव को दिनांक 03.10.2009 वैकल्पिक अभिकर्ता के रूप में नामित व प्राधिकृत करते हुए उन्हें प्रथम किस्त की राशि विमुक्त की गयी और कनीय अभियंता, घोरडीहा की अनुशंसा के आलोक में पुनः उन्हें दिनांक 30.10.2009 को योजना मद में द्वितीय किस्त की राशि (मो0 पचास हजार रुपये) विमुक्त की गयी। अभिकर्ता के द्वारा लिये गये अग्रिम के विरुद्ध मो0 छियासी हजार चार सौ अट्ठाईस रुपये के समतुल्य मापी पुस्त समर्पित किये जाने के बाद कनीय अभियंता, घोरडीहा के अनुशंसा के आलोक में दिनांक 07.01.2010 को अभिकर्ता को मो0 साठ हजार रुपये का अग्रिम हस्तगत कराते हुए उनसे मास्टर रोल अभिश्रव आदि उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

उपरोक्त सभी राशि विमुक्ति योजना मद में जिला कार्यालय, मधुबनी से प्राप्त प्रथम किस्त की राशि से (मो0 एक लाख बासठ हजार पांच सौ रुपये) की गयी और अधोहस्ताक्षरी के पदस्थापन अवधि में प्रखंड कार्यालय, घोरडीहा को द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त ही नहीं हुई। द्वितीय किस्त की राशि जब अधोहस्ताक्षरी के कार्यकाल में प्राप्त ही नहीं हुआ तो योजना पूर्ण कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस योजना मद में प्राप्त प्रथम किस्त की राशि का शत-प्रतिशत उपयोग करके योजना को क्रियान्वित किया गया। संलग्न अभिलेख के आदेश फलक की छायाप्रति के अवलोकन से यह तथ्य संपुष्ट होता है। संलग्न मापी पुस्त की छायाप्रति भी इसका समर्थनीय साक्ष्य है कि योजनाएं क्रियान्वित की जा रही थी। विदित हो कि अधोहस्ताक्षरी के स्थानान्तरण के लगभग दो वर्ष आठ माह पश्चात् जिला योजना कार्यालय, मधुबनी के पत्रांक 66मु0/जि0यो0 दिनांक 19.01.2013 योजना मद के द्वितीय किस्त की राशि विमुक्त की गई। वर्णित परिस्थितियां यह स्पष्ट करती हैं कि योजना के क्रियान्वयन में मेरे स्तर से कभी भी उदासीनता व लापरवाही नहीं बरती गई है और कार्यहित में सम्यक् निर्णय व कार्रवाई ससमय किया गया है।

(ii) **पिरोजगढ़ कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य**।- प्रखंड कार्यालय घोरडीहा में संधारित अभिलेख संख्या-01/08-09 में अभिलेखीय कार्यवाही दिनांक 16.12.2008 को आरंभ करते हुए अभिकर्ता श्री सुरेश प्रसाद, राजस्व कर्मचारी को प्रथम किस्त की राशि विमुक्त की गयी। अभिकर्ता के लिखित आवेदन पर कनीय अभियंता, घोरडीहा की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 16.02.2009 को द्वितीय किस्त की राशि (मो0 पचास हजार रुपये) विमुक्त की गयी। अभिकर्ता के द्वारा लिये गये अग्रिम के विरुद्ध मो0 इक्कीस हजार चार सौ तीन रुपये की मापी पुस्त प्राप्त होने पर उन्हें योजना शीघ्र पूर्ण करने हेतु चेतावनी नोटिस निर्गत करने का आदेश प्रभारी सहायक को दिया गया, जो संबंधित अभिलेख के आदेश फलक पर लिपिबद्ध है। जून माह के दौरान स्थानान्तरण के सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रथम अभिकर्ता का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के कारण योजना के शेष कार्य को पूर्ण कराने हेतु श्री रामयश साह, पंचायत सचिव को वैकल्पिक अभिकर्ता नामित करते हुए उन्हें दिनांक 10.10.2009 को प्रथम किस्त की राशि (मो0 साढ़े सात हजार रुपये) तथा दिनांक 30.10.2009 को द्वितीय अभिकर्ता के लिखित आवेदन पर कनीय अभियंता, घोरडीहा के अनुशंसा के आलोक में द्वितीय किस्त के रूप में (मो0 एक लाख रुपये की राशि का चेक) उपलब्ध करायी गयी। लेकिन उनके पूर्व पदस्थापन के कतिपय आरोप के कारण द्वितीय अभिकर्ता के निर्लंबित हो जाने के उपरांत दिनांक 28.01.2010 को श्री शिव प्रसाद यादव, पंचायत सचिव को उक्त योजना को ससमय पूर्ण करने हेतु तृतीय अभिकर्ता नामित करते हुए उन्हें प्रथम किस्त की राशि (मो0 साढ़े सात हजार रुपये) उपलब्ध करायी गयी तथा द्वितीय अभिकर्ता श्री रामयश साह को लिये गये अग्रिम के विरुद्ध असमायोजित राशि को प्रखंड नजारत में नगद जमा करने हेतु निदेशित किया गया। संबंधित तथ्य संलग्न अभिलेख के आदेश फलक पर लिपिबद्ध है। दिनांक 13.02.2010 को योजना के स्थल निरीक्षण के दौरान योजना स्थल पर लगभग एक सौ दस फीट में चहारदीवारी और प्लास्टर का कार्य पूर्ण पाये जाने और निर्माण-सामग्री स्थल पर मौजूद रहने के आलोक में कार्यहित में योजना को पूर्ण

कराने हेतु तृतीय नामित-अभिकर्ता को द्वितीय किस्त की राशि (मो0 पचहत्तर हजार रुपये) विमुक्त किया गया। दिनांक 22.02.2010 को तृतीय अभिकर्ता श्री शिव प्रसाद यादव, पंचायत सचिव के द्वारा लिये गये अग्रिम के विरुद्ध मो0 एक लाख पचीस हजार आठ सौ सैंतालीस रुपये का मापी पुस्त समर्पित करते हुए योजना पूर्ण करने हेतु अग्रिम की मांग किये जाने के आलोक में उन्हें मो0 चालीस हजार रुपये की राशि विमुक्त की गयी। पुनः दिनांक 12.03.2010 को योजना के तृतीय अभिकर्ता के द्वारा मो0 एक लाख पनचानवे हजार चार सौ चवालीस रुपये का मापी पुस्त समर्पित करते हुए मो0 बत्तीस हजार रुपये अग्रिम की मांग की गयी।

इस तिथि तक जिला कार्यालय, मधुबनी से प्राप्त प्रथम किस्त की राशि (पौने दो लाख रुपये) के विरुद्ध एक लाख छप्पन हजार दो सौ छियालीस रुपये अग्रिम के रूप में दिये जाने के उपरान्त योजना मद में अवशेष मात्र 18754.00 रुपये थी, जिसे तृतीय अभिकर्ता को भुगतान करते हुए मेरे द्वारा विहित प्रक्रिया से प्रखंड कार्यालय, घोघरडीहा के पत्रांक 592 दिनांक 16.03.2010 से उप विकास आयुक्त, मधुबनी से योजना मद में द्वितीय किस्त की राशि विमुक्त करने का अनुरोध किया गया, जो मेरे स्थानान्तरण के उपरान्त प्रखंड कार्यालय, घोघरडीहा को जिला विकास प्रशाखा के पत्रांक 1275/जिला विकास दिनांक 12.05.2010 को प्राप्त हुआ। उपरोक्त तथ्यों से यह भलीभांति स्पष्ट हो जाता है कि अधोहस्ताक्षरी की पदस्थापना अवधि में उक्त योजना मद में द्वितीय किस्त की राशि प्रखंड कार्यालय, घोघरडीहा में प्राप्त नहीं हुई जबकि मैंने इसकी विमुक्ति हेतु लिखित अनुरोध भी किया था। जब योजना को पूर्ण कराने के लिए आवश्यक राशि ससमय अधियाचना के बाद भी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध ही नहीं करायी गयी थी, तो योजना पूर्ण कराने में उदासीनता व लापरवाही बरतने का आरोप स्वतः खंडित हो जाता है।

उक्त के आलोक में श्री प्रकाश द्वारा अपने विरुद्ध अधिरोपित दंडादेश को विलोपित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।”

श्री प्रकाश से प्राप्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री प्रकाश द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में पूर्व में आरोप पर दिये गये स्पष्टीकरण के बिन्दुओं को ही पुनः समर्पित किया गया है। श्री प्रकाश के विरुद्ध आरोप उनके पदस्थापन अवधि में वर्ष 2007-08 में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत 14वीं लोकसभा के माननीय सांसद, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, झंझारपुर संसदीय क्षेत्र के ऐच्छिक कोष से स्वीकृत योजनाओं को ससमय पूर्ण करने की दिशा में उदासीनता बरतने से संबंधित है। प्रतिवेदित आरोप पर उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, मधुबनी से मंतव्य की मांग की गयी थी। जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा प्रथम आरोप पर उनके स्पष्टीकरण को आंशिक रूप से स्वीकार योग्य एवं द्वितीय आरोप पर उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं प्रतिवेदित किया गया है। जिला पदाधिकारी, मधुबनी का कहना है कि श्री प्रकाश प्रश्नगत योजनाओं को ससमय पूर्ण कराने की दिशा में उदासीन रहें तथा उनके द्वारा योजना को पूर्ण कराने में पर्यवेक्षण का अभाव पाया गया। इसके आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त जनता के निमित्त कल्याणकारी योजना को गंभीरता से नहीं लिए जाने एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही के आरोपों के लिए श्री प्रकाश के विरुद्ध दंडादेश अधिरोपित किया गया। प्रतिवेदित आरोप एवं जिला पदाधिकारी, मधुबनी के मंतव्य के आलोक में श्री प्रकाश द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री प्रकाश के द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण के बिन्दुओं को ही पुनः उल्लेख करते हुए पुनः अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। श्री प्रकाश से प्राप्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में प्रतिवेदित आरोप के आलोक में अपने बचाव में कोई नया तथ्य नहीं समर्पित किया गया है।

समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रकाश के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9131 दिनांक 19.08.2021 द्वारा अधिरोपित दंड को पूर्ववत् बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री आनन्द प्रकाश (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1088/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोघरडीहा, मधुबनी द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9131 दिनांक 19.08.2021 द्वारा (i) निन्दन (आरोप वर्ष 2007-08), (ii) संचयी प्रभाव के बिना दो वेतन वृद्धि पर रोक का दंड को पूर्ववत् बरकरार रखा जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1042-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>